अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी कियाकलाप निवारण अधिनियम 1986), कक्ष सं0–4, अलीगढ़

गैंगस्टर सत्र परीक्षण संख्या–2549/2023
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजीव अग्रवाल व अन्य

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण विकास, संजीव अग्रवाल व सागर मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। अन्य अभियुक्तों का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत। सुना, स्वीकृत।

मामले के अभियुक्त संजीव कुमार अग्रवाल द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र तथा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–528 बी.एन.एस.एस. नं0–5530/2026 संजीव कुमार अग्रवाल उर्फ बिन्टू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 27.05.2026 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश में मामले में अग्रिम आदेश पारित किये जाने तक आवेदक के संदर्भ में वाद की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त संजीव कुमार अग्रवाल के विरूद्ध अग्रिम आदेश तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वाद की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का आदेश पारित किये जाने के आधार पर अन्य अभियुक्तों के संदर्भ में पत्रावली को पृथक किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं पाया जाता है।

तद्नुसार पत्रावली वास्ते इंतजार नतीजा दिनांक 29.08.2026 को पेश हो।

दिनांकः 15–07–2026

(संजय कुमार यादव–प्रथम)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट),
कक्ष संख्या–04, अलीगढ

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2026.07.15 17:29:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court